



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर चोरी करने के आरोपी कुन्दन को हुआ 04 माह 14 दिन का कारावास व 4000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2013 में अभियुक्त कुन्दन पुत्र विश्वनाथ बावरिया निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर खानपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0-723/2012 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 851/2013 धारा 414 भादवि पंजीकृत हुए थे । इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.01.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त कुन्दन को दोषी पाते हुए 04 माह 14 दिन का कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी सावन को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 06 माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त सावन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 06/2021 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.01.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सावन को दोषी पाते हुए 06 माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 28.01.2025

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम

व पता:-

1-बिटटू पुत्र चन्द्रपाल निवासी रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-त्रिलोचन उर्फ अंकुर पुत्र ऊधम सिंह निवासी वार्ड नं0 9 थाना व ग्राम सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-जुमेदीन पुत्र दीन मौहम्मद निवासी पट्टी सफीपुर कस्बा बुढाना भारत हाल के पीछे कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना बिनौली पुलिस टीम ।

2-थाना रमाला पुलिस टीम ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 28.01.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1200 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1200 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 50/25 धारा 13जी एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-शाकिर पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला काजीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-जमील पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला काजीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-इस्तकार उर्फ पप्पू पुत्र सगीर निवासी मौहल्ला मिर्धानपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- 1200 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रेशनलाल थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 491 रामकुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 4-का0 982 नीरज थाना बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 27.01.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 37/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अशरफ पुत्र फारूख निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-का0160 अंकुल सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 751 शादाब थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।